

न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-545 / 2009

संस्थित दिनांक-22.10.2009

फाईलिंग क्र.234503000932009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट गढ़ी,
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला (म.प्र.)

— — — — — परिवादी

// विरुद्ध //

1-बजराहीन पति बसरू, उम्र-47 वर्ष,
निवासी-ग्राम कोमो (खुर्सीपार), थाना गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-समलीबाई पति जगनू उम्र-35 वर्ष,
निवासी-ग्राम कोमो (खुर्सीपार), थाना गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-शैलोबाई पति बिसनू उम्र-51 वर्ष,
निवासी-ग्राम कोमो (खुर्सीपार), थाना गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/01/2017 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-16.10.2009 को 8:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के सरईटोला भैंसानघाट के कक्ष क्रमांक 113 में ज्वारापानी नामक स्थान पर कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया, कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में अन्य आरोपी के साथ मिलकर तीन बोरी लगभग 75 किलोग्राम मैदा छाल निकासी कर वन्य प्राणी का प्राकृतिक स्थल को नष्ट कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया।

2- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2009 को वन विभाग के कर्मचारी कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक 113 सरईटोला ज्वारापानी नामक स्थान पर गश्ती कर रहे थे, तभी ज्वारापानी में 03 महिलाये बजराहीन बाई, समलीबाई तथा शैलोबाई मिली और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे खुर्सीपार की रहने वाली है और वन में पाई जाने वाली मैदा छाली वस्तु को लेने के

लिये आई है। महिलाओं की तलाशी लेने पर उनके पास मैदा छाली लगभग 75 किलोग्राम मिली, जिसे जप्त कर जप्ती की कार्यवाही एवं पी.ओ.आर. क्रमांक 2944/22 बनाया गया। जप्ती की कार्यवाही की गई क्योंकि महिलाओं के पास वन में प्रवेश की वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। प्रकरण की विवेचना की गई। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2944/22, धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा 51 एवं 51(सी) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2003, 2006 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी(संरक्षण) अधिनियम की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा 51 एवं 51(सी) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2003, 2006 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-16.10.2009 को 8:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के सरईटोला भैंसानघाट के कक्ष क्रमांक 113 में ज्वारापानी नामक स्थान पर कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में अन्य आरोपी के साथ मिलकर तीन बोरी लगभग 75 किलोग्राम मैदा छाल निकासी कर वन्य प्राणी का प्राकृतिक स्थल को नष्ट कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— परिवादी साक्षी उमूर मो० खान प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-16.10.2009 को वह कुगांव में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था, तब वह गश्ती दल के साथ सरईटोला बीट में गश्ती कर रहा था। तीन महिलायें ज्वारापानी स्थान जो कक्ष क्रमांक 113 में स्थित थी, मिली थी। महिलाओं को पकड़ने के बाद उनके पास रखी बोरी की तलाशी लिये जाने पर प्रत्येक बोरी भरी हुई मिली। बोरियों में क्या भरा हुआ था, यह बात साक्षी ने नहीं कही है। महिलाओं से नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम बजराहीनबाई, समलीबाई तथा शैलोबाई बताया था। आरोपी

महिलाओं के पास वन में प्रवेश करने की कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। आरोपी महिलाओं ने मैदा छालियों को कान्हा पार्क के अन्दर से लाना बताये थे, इसके संबंध में मौका का पंचनामा प्र.पी.01 तैयार किया गया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं द से द भाग पर आरोपी महिलाओं के अंगुठा निशान है। आरोपी महिलाओं से मैदा छाली को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 वनरक्षक ने उसके समक्ष तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनरक्षक ने उसके समक्ष प्र.पी.09 का पी.ओ.आर. काटा था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी महिलाओं का बयान प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.05 उसने आरोपी महिलाओं के बतायेनुसार लेख किया था। वनरक्षक चमनकुमार ने अपने बयान अपनी हस्तलिपि में लेख कर उसे दिया था, जो प्र.पी.10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06, 07 एवं प्र.पी.11 तैयार किया गया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.12 तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी हरिप्रसाद एवं मन्तुलाल के बयान लेख किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जप्ती एवं पी.ओ.आर. की कार्यवाही वनरक्षक ने की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि उसने कार्यालय में बैठकर दस्तावेज तैयार किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी महिलाओं को मैदा छाली निकालते हुये नहीं पकड़ा गया था। साक्षी ने यह कहा है कि मैदा छाली बोरियों में भरी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्त की गई मैदा छाली जिन पेड़ों से निकाली गई थी, उन पेड़ों का मौके पर जाकर सत्यापन नहीं किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि विवेचना की कार्यवाही में जप्ती पंचनामा इत्यादि कार्यालय में बैठकर बनाया गया था।

7— साक्षी सी0आर0 उइके प.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-16.10.2009 को वह वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर भैसानघाट में पदस्थ था। इसी दिनांक को परिक्षेत्र सहायक ने पी.ओ.आर.कमांक 2944/22 दिनांक 16.10.2009 आरोपीगण के विरुद्ध परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था। उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्र.पी.13 का परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जांच करने के पश्चात प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.12 के दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किये थे। जप्ती पत्रक प्र.पी.02 को वनरक्षक चमन कुमार द्वारा ही तैयार किया गया था। वनरक्षक चमन कुमार बघेले उसके अधीनस्थ

ही कार्य करता है, इसलिये वह उसे जानता है। पी.ओ.आर. क्रमांक 2944/22 प्र.पी. 09 चमन कुमार द्वारा काटा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि घटनास्थल कान्हा नेशनल पार्क का क्षेत्र नहीं हैं। इस बात से भी साक्षी ने इंकार किया है कि उसने कभी भी चमन कुमार के साथ काम नहीं किया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं आरोपीगण तथा प्रकरण के साक्षियों से पूछताछ नहीं की थी।

8— नत्थुलाल प.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-16.10.2009 को भैसानघाट में श्रमिक के पद पर पदस्थ था। वह वनरक्षक चमन बघेले एवं हरीलाल के साथ गश्ती पर गया था, तभी ज्वारापानी जंगल से तीन महिलायें बोरी लेकर आती दिखाई दी और रोककर देखने पर बोरी में मैदा छाली थी। महिलाओं को बेरियर में लाया गया था। आरोपी महिलाओं के पास की बोरी में प्रत्येक के पास 25-25 किलो मैदा छाली थी। जप्तीनामा प्र.पी.02 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। महिलाओं से पूछताछ कर उनके बयान प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.05 तैयार किये गये थे, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 06 एवं प्र.पी.07 तैयार किया गया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वनरक्षक को अपने बयान प्र.पी.09 दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि वह किस दिनांक को गश्ती पर गया था वह नहीं बता सकता। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने महिलाओं के पास मैदा छाली बोरी में नहीं देखी थी। साक्षी ने कहा है कि लिखा-पढ़ी की कार्यवाही भैसानघाट में तथा कुछ कार्यवाही गढ़ी कार्यालय में हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि मैदा छाली की नाप उसके समक्ष नहीं हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण का नाम नहीं बता सकता और इसका कारण घटना पुरानी होने से नहीं बता सकता है।

9— हरिप्रसाद धुर्वे प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-16.10.2009 को वन विभाग में श्रमिक के पद पर पदस्थ था। गश्ती के समय ज्वारापानी नामक स्थान में जब वह गया था, तब वहाँ पर तीन महिलायें मैदा छाली बोरी में तथा थैला में रखे हुये थी। आरोपी महिलाओं में से एक ने अपना नाम बजराहीनबाई बताया था और अन्य महिलाओं का नाम उसे याद नहीं है। आरोपी महिलाओं के पास वन क्षेत्र में प्रवेश की वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। उसके समक्ष मौके का

पंचनामा प्र.पी.01 तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पत्रक प्र.पी.02 अनुसार आरोपी महिलाओं से मैदा छाल जप्त की गई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी महिलाओं के कथन प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.05 उसके समक्ष तैयार किये गये थे, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 व प्र.पी.07 तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका बयान प्र.पी.08 वन अधिकारी द्वारा लेख किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि ज्वारापानी कोर जोन के अंतर्गत आता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके का पंचनामा एवं अन्य दस्तावेज भैसानघाट कार्यालय में तैयार किये गये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्ती पत्रक, मौके का पंचनामा एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही किस अधिकारी ने की थी वह नहीं बता सकता। साक्षी ने कहा है कि चमन बघेले एवं उमर मोहम्मद के द्वारा कार्यवाही की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि किस आरोपी से कितनी-कितनी मैदा छाली जप्त हुई वह नहीं बता सकता।

10— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 का अभियोग है। परिवादी साक्षी हरीप्रसाद प.सा.01, नत्थुलाल प.सा.02, उमर मो0 प.सा.03 जो मौके पर उपस्थित थे और जिनके द्वारा कार्यवाही की गई थी, ने घटना का विवरण लगभग समान रूप से अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है और कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी महिलायें कान्हा नेशनल पार्क के सरईटोला भैसानघाट के कक्ष क्रमांक 113 में ज्वारापानी नामक स्थान पर कोर जोन में वन में पाई जाने वाली वस्तु मैदा छाली ले जा रही थी और उन्हें मौके पर ही पकड़ा गया था। बचाव पक्ष द्वारा कार्यवाही भैसानघाट में हुई थी अथवा इस प्रकार के अन्य सुझाव दिये गये हैं परन्तु उनके द्वारा यह सुझाव दिये जाने पर कि आरोपी महिलायें मैदा छाली नामक वस्तु नहीं ली हुई थी अथवा उनके आधिपत्य से उपरोक्त मैदा छाली जप्त नहीं हुई थी, उपरोक्त परिवादी साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया है। परिवादी साक्षी हरीप्रसाद प.सा.01, नत्थुलाल प.सा.02, उमर मो0 प.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहें हैं कि घटना दिनांक को आरोपी महिलाओं के आधिपत्य से मैदा छाली जप्त नहीं की गई थी। मैदा छाली जो कि वन में पाई जाने वाली वस्तु है वह एक शासकीय संपत्ति हैं, को निकालकर वन्य प्राणी के प्राकृतिक स्थल को नष्ट किया जाना भी प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण को वन्य प्राणी

(संरक्षण) अधिनियम की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अपराध में सिद्धदोष पाया जाता है।

11— आरोपीगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से वन संपदा को हो रहे नुकसान एवं राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के प्रभावित होने से आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर म0प्र0

पुनश्च:-

12— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। आरोपीगण वनक्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। अतः आरोपीगण को सरल दंड का आदेश दिया जावे।

13— आरोपीगण के द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण द्वारा वन संपदा को नुकसान पहुँचाया गया है एवं अवैध रूप से कोर जोन में प्रवेश किया गया है, परन्तु चूँकि वे ग्रामीण महिलायें हैं एवं उन्हें सभी नियमों की जानकारी नहीं होगी ऐसा मानकर उन्हें सरल दंड दिया जाना उचित होगा। आरोपीगण वर्ष 2009 से विचारण का सामना कर रहे हैं। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी **1.** बजराहीन पति बसरू, उम्र-47 वर्ष, **2.** समलीबाई पति जगनू, उम्र-35 वर्ष तथा **3.** शैलोबाई पति बिसनू, उम्र-51 वर्ष तीनों निवासी-ग्राम कोमो (खुर्सीपार), थाना गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.) को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-27, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 500-500/- (पांच-पांच सौ रुपये) इस प्रकार कुल 1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

14— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

15- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे ।

16- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान कि जावे ।

17- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं की गई है। अपील अवधि पश्चात् वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट गढी, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला (म.प्र.) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मैदा छाली मूल्यहीन होने से नष्ट करें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया । मेरे निर्देश पर टंकित किया ।

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सही / -

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्र
(शासकीय / विधिक उपयोग)